

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर, तृष 22, अंक - 337- शुक्रवार 09- अक्टूबर 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028



दोहरे हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला कुलदीप साह, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह और चंद्रकांत चौधरी को फांसी

आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को उम्रकैद

- न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में सुनाई सजा...
- जिस फैसले का दो साल से इंतजार था, अदालत की कलम चली तो तीन के लिए मौत की सजा और एक के लिए उम्रकैद लिखी गई...और फैसला लिखने के बाद पेन की निब भी टूट गई।

सूरजपुर, 08 अक्टूबर 2026
(घटना-घटना)।

करीब दो साल से जिस फैसले का इंतजार सूरजपुर कर रहा था, गुरुवार को वही फैसला सामने आया जिसकी उम्मीद शहर के एक बड़े वर्ग को थी। बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी कुलदीप साह, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह और चंद्रकांत चौधरी को फांसी की सजा, जबकि चौथे दोषी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने सुनाया, यह फैसला केवल चार दोषियों की सजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके साथ सूरजपुर जिला न्यायालय के इतिहास में भी एक नया अध्याय जुड़ गया, जिला न्यायालय बनने के बाद यहां पहली बार किसी मामले में मृत्युदंड सुनाए जाने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ, इस तरह दोहरे हत्याकांड का यह फैसला सूरजपुर के न्यायिक इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा, तीन को मृत्युदंड, एक को उम्रकैद-अदालत का फैसला आया तो वहीं हुआ जिसकी शहर को उम्मीद थी, पेन की निब

तोड़ने वाले प्रसंग को 'अदालती सूत्रों के अनुसार' रखा गया है, इसे कानूनी अनिवार्यता के रूप में नहीं लिखा गया है।

न्यायालय की कलम से निकला फैसला, टूट गई पेन की निब-फैसले का सबसे चर्चित पहलू केवल तीन आरोपियों को मृत्युदंड सुनाया जाना नहीं रहा, अदालती सूत्रों के अनुसार, मृत्युदंड का फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने उस पेन की निब तोड़ दी, जिससे फैसले पर हस्ताक्षर किए गए, मृत्युदंड सुनाने के बाद पेन की निब तोड़ने की परंपरा को न्यायिक जगत में एक प्रतीकात्मक परंपरा के तौर पर देखा जाता है, इसका आशय यह माना जाता है कि जिस कलम से किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा इतना गंभीर फैसला लिखा गया, उसका सामान्य रूप से दोबारा इस्तेमाल न किया जाए, हालांकि पेन की निब तोड़ना किसी कानून अथवा न्यायिक प्रक्रिया की अनिवार्य शर्त नहीं है, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक परंपरा के रूप में देखा जाता है, सूरजपुर के इस मामले में इस प्रतीकात्मक क्षण ने फैसले की गंभीरता को और चर्चा में ला दिया, एक तरफ अदालत के

एक पेन, तीन मौत की सजा और न्यायिक इतिहास में दर्ज एक दिन

यह फैसला इसलिए भी खास रहा क्योंकि एक ही मामले में तीन दोषियों को मृत्युदंड दिया गया, न्यायालय द्वारा मुख्य आरोपी कुलदीप साह, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह और चंद्रकांत चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया, मृत्युदंड के मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी, सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर कानून के अनुसार उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है, इसलिए आज का फैसला महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन मृत्युदंड के अंतिम क्रियान्वयन से पहले न्यायिक प्रक्रिया के आगे चरण भी होंगे।

दो साल पुराने ज़ख्म पर अदालत का फैसला

13 अक्टूबर 2024 की वह रात सूरजपुर के लिए कभी न भूल पाने वाली घटना बन गई थी, प्रधान आरक्षक के परिवार की महिला और नाबालिग बेटी की हत्या ने पूरे जिले को झकझोर दिया था, घटना के बाद सूरजपुर में आक्रोश का माहौल बना और पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली से लेकर अपराधियों के प्रभाव तक कई सवाल उठे, मामले की जांच हुई, आरोपी गिरफ्तार हुए, साक्ष्य जुटाए गए, गवाह न्यायालय पहुंचे और करीब दो साल तक न्यायालयीन प्रक्रिया चली, इसके बाद पहले चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया और अब अदालत ने सजा भी सुना दी, दोषसिद्धि के बाद अब सजा का फैसला भी सामने आ गया है।

आदेश में तीन आरोपियों के लिए मृत्युदंड लिखा जा रहा था, तो दूसरी तरफ अदालत कक्ष में मौजूद लोगों के सामने न्यायिक इतिहास का एक ऐसा क्षण दर्ज हो रहा था, जिसे सूरजपुर लंबे समय तक याद रखेगा।

फैसला वहीं आया जिसकी शहर को उम्मीद थी-दोषसिद्धि के बाद से ही सूरजपुर में यह चर्चा थी कि अदालत अपराध की गंभीरता को किस नजर से देखती है, शहर के एक वर्ग की ओर से लगातार कठोरतम सजा की मांग की जा रही थी, गुरुवार को जब अदालत ने तीन आरोपियों को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो न्यायालय परिसर के बाहर मौजूद लोगों के बीच

परिस्थितियां और घटनाक्रम अलग हैं, दोनों को एक जैसा मानना उचित नहीं होगा, लेकिन एक समानता यह जरूर चर्चा में है कि दोनों गंभीर हत्याकांडों में कबाड़ के कारोबार से जुड़े लोगों की भूमिका के संदर्भ में सा.म.ने आ.ए.

सूरजपुर के न्यायिक इतिहास में पहली बार फांसी...

इस फैसले की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विशेषता यही है कि सूरजपुर जिला न्यायालय बनने के बाद पहली बार यहां से मृत्युदंड का फैसला सामने आया है, अर्थात् जिस अदालत में अब तक अनेक गंभीर अपराधिक मामलों की सुनवाई होती रही, उसी न्यायालय के इतिहास में यह मामला मृत्युदंड के फैसले के साथ दर्ज हो गया, और इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाने वाले न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल भी इस न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए, एक मामला, तीन मृत्युदंड और सूरजपुर न्यायालय के इतिहास में पहली फांसी की सजा।

और दो नए मामलों में फांसी

की सजा का फैसला निकला, यही समानता अब न्यायिक इतिहास के संदर्भ में भी चर्चा का विषय बन गई है।

जनता की उम्मीद, पुलिस की चुनौती और अदालत का फैसला-इस मामले में पुलिस विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों को कानून के सामने दोषसिद्ध कराने की थी, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच आगे बढ़ी, अभियोजन ने मामले को न्यायालय के सामने रखा और लंबी सुनवाई के बाद चार आरोपी दोषी करार दिए गए, अब सजा के रूप में तीन

को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास मिला है, इस फैसले के बाद एक बात साफ है कि घटना के बाद बने आरोप-प्रत्यारोप, पुलिस के खिलाफ उठे सवाल और आरोपियों के पक्ष में बनने वाले नैरेटिव से आगे अदालत ने मामले को उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी कसीटी पर परखा।

अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण-तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब इस मामले की अगली न्यायिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी, मृत्युदंड के मामलों में उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है, इसके अलावा दोषी पक्ष को कानून के तहत उपलब्ध अपील के अधिकार भी रहें हैं, इसलिए आज का फैसला ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन इसकी आगे की कानूनी यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी, फिलहाल सूरजपुर के लिए गुरुवार का दिन उस मामले के नाम रहा, जिसने दो साल पहले पूरे जिले को झकझोर दिया था, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। तीन के लिए मौत की सजा और एक के लिए उम्रकैद। न्यायालय की कलम चली, पेन की निब टूटी और सूरजपुर के न्यायिक इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया।

फैसले की बड़ी बात...

- मुख्य आरोपी कुलदीप साह-फांसी
- फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह-फांसी
- चंद्रकांत चौधरी-फांसी
- आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी-उम्रकैद
- फैसला-8 अक्टूबर 2026
- न्यायाधीश-आनंद प्रकाश वारियाल
- अदालत-फास्ट ट्रैक न्यायालय, सूरजपुर

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन

राहुल-प्रियंका ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि खड़गे बोले...सरकार वोट देने का अधिकार छीन रही

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर 2026। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर के विरोध में विपक्ष ने दिल्ली में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया। राहुल-प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लाक के सांसदों ने पहले कर्नाट प्लेस में लंच किया, फिर बसों से राजघाट पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। राजघाट पर करीब एक घंटे इंतजार के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। यहां सांसदों ने बापू को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले खड़गे ने कहा था कि वे गांधीजी से प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे। वह लोगों का वोट देने का अधिकार न छीने। दिल्ली में पिछले दो दिनों से धरने का एक ही पैटर्न दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाते हैं, सांसद खाना खाते हैं,



फिर बसों में बैठकर निकल जाते हैं। फर्क इतना है कि बुधवार को मंजिल जंतर-मंतर थी और गुरुवार को राजघाट। इससे पहले विपक्ष ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मध्य दिल्ली के डीडीयू मार्ग स्थित कांग्रेस मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया। उन्होंने लोकसभा में

विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ 'दुर्व्यवहार' करने का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आईटीओ चौराहे से कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी बुधवार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए राहुल गांधी को खिलाफ नारे लगा रहे थे।

भाजपा बोली...बापू जीवित होते तो राहुल को सलाह देते

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, इस समय आप राहुल गांधी और विपक्ष को राजघाट पर देख रहे हैं। अगर बापू जीवित होते तो कम से कम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कुछ समझदारी भरी सलाह तो देते।

कांग्रेस बोली...यह संविधान की रक्षा की लड़ाई है

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई जारी है। लोगों को उनके मतदान के अधिकार से अवैध रूप से वंचित किए जाने से बचाने की लड़ाई जारी है।

मोबाइल फोन बना गुड गवर्नेंस का टूल, 5 लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचे : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए टेलीकॉम सेक्टर, डिजिटल इंडिया और मोबाइल फोन की बदलती भूमिका पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि बीते 10-12 वर्षों में मोबाइल फोन सिर्फ आधुनिक संचार का माध्यम नहीं रहा, बल्कि गुड गवर्नेंस का अहम टूल बनकर उभरा है और डिजिटल इंडिया विजन के केंद्र में रहा है।

टेलीकॉम सुधारों से आम नागरिक तक पहुंची सुविधा : पीएम मोदी ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में जरूरी सुधार किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ और मोबाइल फोन व अन्य हाईवेयर को भारत में बनाने पर फोकस किया गया। इन प्रयासों से मोबाइल फोन और डेटा तक आम नागरिक की पहुंच आसान हुई, जिससे लोगों को 'ईज ऑफ लिविंग' बढ़ी है। एक दशक पहले भारत में डिजिटल डिवाइड बड़ी चुनौती थी और आधुनिक तकनीक विशेषाधिकार बनती जा रही थी।



डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए इस स्थिति को बदला गया और मोबाइल फोन को केंद्र में रखकर तकनीक का लोकतंत्रीकरण किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाएं बिना बाधा चलती रहीं : मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को बिना बाधा चालू रखा। आज दूर-सुदूर गांवों में गरीब बच्चे भी क्वालिटी नॉलज एक्सेस कर पा रहे हैं और डिजिटल लॉजिंग सबकी पहुंच में आ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि

मोबाइल फोन अब सिर्फ बात करने या चैट करने का जरिया नहीं रहा। इसने लोगों का आना-जाना कम किया, लंबा इंतजार खत्म किया, खर्च घटाया और सुविधाएं बढ़ाई। यही तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है जो सीधे आम लोगों को मिल रहा है। पीएम ने गैमिंग सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से गैमिंग से जुड़े हैं। इसमें बड़ी संख्या युवाओं की है। टियर-2 और टियर-3 शहरों का युवा भी ई-स्पोर्ट्स में प्रतिযোগिता कर रहा है।

इस दौरान पंडे समाज, उर्वर समाज, गोडवाना गणतंत्र पार्टी, सर्व आदिवासी समाज, गेड समाज, केवट समाज, गेरिया समाज, बिडिया समाज, पनिका समाज, यादव समाज, ब्राम्हण समाज, स्वर्णकार समाज, रोमन कैथोलिक समाज, मझवार समाज, रजवार समाज, सहू समाज, चेवा समाज, मुण्डा समाज, चिक समाज, मुस्लिम सुन्नी समाज, अंजुम इस्लामिया कमिटी, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज, रैनिया समाज, राजपूत समाज, विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि सहित अन्य समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और लिफ्टा एवं मौखिक माध्यम से समाज नागरिक सहितां के विषय में अपने विचार व्यक्त किए।

● ● ● ●

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्व. फलेंद्र सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा...

कूड़ेली चौक स्थित प्रतिमा के समक्ष जिलेभर से पहुंचे जनप्रतिनिधि,सामाजिक कार्यकर्ता और कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों ने अर्पित किया श्रद्धासुमन

-संवाददाता-
कोरिया,08 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि स्वर्गीय फलेंद्र सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर ग्राम कूड़ेली चौक में उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया,परिजनों एवं समाज के लोगों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जनप्रतिनिधियों,राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं,कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों तथा ग्रामीणों ने स्वर्गीय फलेंद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण स्मरण किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय फलेंद्र सिंह के सार्वजनिक जीवन,सामाजिक सरोकारों और क्षेत्र के प्रति उनके योगदान को याद किया। लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ संवाद बनाए रखा और क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

जिलेभर से पहुंचे जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता-कूड़ेली चौक स्थित प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे प्रमुख लोगों में जिला पंचायत कोरिया के अध्यक्ष मोहित राम पैकरा, भाजपा जिलाध्यक्ष कोरिया देवेन्द्र



तिवारी,पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बैकुंठपुर अशोक जायसवाल,शैलेश शिवहर,जिला पंचायत सदस्य गीता राजवाड़े,जनपद सदस्य धर्मवती राजवाड़े,गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह कर्मरों,भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्ण बिहारी जायसवाल, भाजपा जिला महामंत्री पंकज गुप्ता,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पटना बिहारी लाल राजवाड़े तथा सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष विजय सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे,इसके अलावा

विकास श्रीवास्तव,धीरेन्द्र साहू और शिवचरण साहू सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भी पहुंचकर स्वर्गीय फलेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी।

कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों ने भी किया स्मरण-श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों की भी मौजूदगी रही,अशोक लाल कुरै,विश्वास भगत,आर.एस. चांदे,सुरेश एक्का,अशोक पैकरा,मनियार सिंह, चंद्रिका प्रसाद पैकरा,सुशील जायसवाल एवं रूपेश कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय फलेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें



श्रद्धांजलि दी,इस दौरान लोगों ने उनके साथ अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जुड़ाव को भी याद किया और उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़े संस्मरण साझा किए।

जनहित से जुड़े सरोकारों को किया याद-श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय फलेंद्र सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन सर्वसमाज के प्रति संवेदनशील रहा,सार्वजनिक जीवन में रहते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ

निरंतर संवाद बनाए रखा, उपस्थित लोगों ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं,विकास और जनहित से जुड़े विषयों को लेकर उनकी सक्रियता को लोग आज भी याद करते हैं,पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कार्यों और जनसेवा की भावना को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चलने की बात कही।

निज निवास पहुंचकर भी दी श्रद्धांजलि-कूड़ेली चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उपस्थित लोग स्वर्गीय फलेंद्र सिंह के निज निवास पहुंचे,यहां उनके छायाचित्र पर

पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई,लोगों ने परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और स्वर्गीय फलेंद्र सिंह के साथ बिताए समय एवं उनके सामाजिक योगदान को याद किया, परिजनों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर स्वर्गीय फलेंद्र सिंह को याद करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सार्वजनिक जीवन की स्मृतियों को किया नमन

स्वर्गीय फलेंद्र सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा उनके प्रति लोगों के आत्मीय जुड़ाव का अवसर बनी,कूड़ेली चौक पर स्थापित उनकी प्रतिमा के समक्ष जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से लोगों का पहुंचना उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़े संबंधों और स्मृतियों को सामने लाता रहा,कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके सामाजिक सरोकारों, जनसेवा की भावना और क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों को स्मरण किया,श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से लोगों ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे व्यक्तिता के योगदान को याद करना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का माध्यम बन सकता है।

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया भारतीय वायु सेना दिवस विशेष प्रार्थना सभा और व्याख्यान के माध्यम से कैडेटों को वायु सेना के गौरवशाली इतिहास से कराया गया परिचित



-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में भारतीय वायु सेना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कैडेटों को भारतीय वायु सेना के गौरवशाली इतिहास,वीरता,साहस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें सशस्त्र सेलाओं में सेवा के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर प्रातःकाल विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें कैडेटों ने भारतीय वायु सेना दिवस की महता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके पश्चात विक्रमादित्य सभाभार में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी स्वर्नाइन लीडर जेम्स नायर ने कैडेटों को भारतीय वायु सेना की भूमिका,

उपलब्धियों और राष्ट्र की सुरक्षा में उसके महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी दी। व्याख्यान के दौरान कैडेटों को भारतीय वायु सेना के प्रति रुचि विकसित करने, देशभक्ति की भावना को मजबूत करने तथा सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर राष्ट्रसेवा करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में वायु सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस, समर्पण, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। कैडेटों ने भारतीय वायु सेना के वीर जवानों के शौर्य और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को नमन करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में आयोजित यह कार्यक्रम कैडेटों के सर्वांगीण विकास, सैन्य मूल्यों के संवर्धन तथा उन्में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्कूटी चलाकर किया अम्बिकापुर शहर का औचक निरीक्षण शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर करने एवं नियमित मॉनिटरिंग करने दिया निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,नगरीय प्रशासन एवं विकास,खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री अरुण साव ने गुरुवार को स्वयं स्कूटी चलाकर अम्बिकापुर शहर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था और डीसी रोड स्थित एसएलआरएम सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों के हितग्राहियों से बातचीत की और अधिकारियों को नागरिक सुविधाएं बेहतर बनाने तथा सड़क निर्माण एवं मरम्मत के काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

केरसु तालाब में सफाई की आवश्यकता पाए जाने पर तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश : शहर भ्रमण के दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं नागरिक सुविधाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। केरसु तालाब में सफाई की आवश्यकता पाए जाने पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों एवं आवासीय क्षेत्रों में नियमित सफाई के साथ स्वच्छता व्यवस्था की प्रभावी निगरानी



सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर करने एवं नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से की बातचीत : उप मुख्यमंत्री साव ने सुभाषनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एचपीवी घटक के तहत बनी 493 आवासीय इकाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहियों से मुलाकात कर आवासों में मिल रही सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। साथ ही पक्का मकान मिलने के बाद उनके जीवन में आए

बदलावों की जानकारी ली। हितग्राहियों ने आवास मिलने पर खुशी जताई और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए हैं, उनका वहां निवास सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने आवासीय परिसर में साफ-सफाई, जरूरी सुविधाओं और शेष निर्माण कार्यों जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

स्वच्छता दीर्घियों के काम की सराहना : उप मुख्यमंत्री ने डीसी रोड स्थित एसएलआरएम सेंटर पहुंचकर कचरा संग्रहण,

पृथक्करण और प्रसंस्करण की व्यवस्था देखी। उन्होंने अम्बिकापुर के कचरा प्रबंधन मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि शहर में लगभग 480 स्वच्छता दीर्घियां घर-घर से कचरा एकत्र करने और उसके प्रबंधन का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। उनके प्रयासों से शहर में स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था बनी है।

सड़क निर्माण और मरम्मत के काम जल्द होंगे शुरू

साव ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण, मरम्मत और अन्य विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक में भी इन कार्यों पर चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए गए थे। विकास कार्यों में तेजी आने से शहरवासियों को बेहतर सड़कों और नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। निरीक्षण के दौरान महापौर श्रीमती मंजूषा भागत, नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, कलेक्टर अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ सुरोमा श्रीवास्तव, नगर निगम आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल, सहित पाण्डेराण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी, अभियंता और योजना के हितग्राही उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर अंबिकापुर में गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत सड़क मरम्मत कार्य प्रारंभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव के सरगुजा जिला प्रवास के दौरान दिए गए निर्देशों के परिपालन में अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सड़कों को गड्ढामुक्त करने की दिशा में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग सभांग अंबिकापुर द्वारा महाभाया चौक से लगे साय चौक तक सड़क पर बी.टी. पैच मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने सरगुजा प्रवास के दौरान विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सड़कों की स्थिति सुधारने तथा आम नागरिकों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। उन्होंने सड़कों पर बने गड्ढों की शीघ्र मरम्मत कर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा संधारण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।

वार्षिक संधारण मद से 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति

लोक निर्माण विभाग सभांग अंबिकापुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों के संधारण एवं मरम्मत कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में वार्षिक संधारण मद से 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृत राशि से संधारण अंतर्गत विभिन्न मार्गों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाएगा।

150 किलोमीटर लंबाई के विभिन्न मार्गों का होगा संधारण

लोक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक संधारण मद के अंतर्गत विभिन्न मार्गों की कुल 150 किलोमीटर लंबाई के क्षतिग्रस्त हिस्सों को बी.टी. पैच कार्य के माध्यम से दुरुस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन कार्यों को आगामी दिसम्बर माह तथा वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को गड्ढों के कारण होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री साव के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत संधारण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा सड़कों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कुसमी में कांग्रेस ने मनाया काला दिवस,मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग

सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी,राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौपा ज्ञापन

-संवाददाता-
कुसमी,08 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को कुसमी में 'काला दिवस' मनाकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीश मिश्रा ने किया। धरना-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने 6 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार का विरोध किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि असहमति लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को



आवाज को दबाया जाना संवैधानिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग : प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से हटाने की मांग की गई। कांग्रेस ने

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करारक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी संविधान, निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। उनका कहना था कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए और दमनकारी रवैया को स्वीकार नहीं किया जा सकता।



सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल : प्रदर्शन में नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भागत,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष श्रवण गुप्ता,पंकज दुबे, खसरू बुनकर,सिराजुल,फरीद खान, इंटर नेता रमेश पांडे,जिला महामंत्री मुजस्सम नजर,प्रदेश सचिव संतोष इंजीनियर,प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सोनू अली,महामंत्री वेदांत भारती,राशीद आलम,जफर इकबाल,

विक्रम गुप्ता और पूर्व प्रदेश महासचिव पूर्णिमा सेमरिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

इसके अलावा यासीन खान, वाहिद, हसीना,बबली,गीता नाग,गीतव कुचूर, मुदरिसर,अंकित,नितीश तिकी,गोल्डन, सदाब अंसारी,अमरनाथ,देवलाल,अनुराग कांग्रेस कमेटी सदस्य सोनू अली,महामंत्री वेदांत भारती,राशीद आलम,जफर इकबाल,

नशामुक्त भारत अभियान के तहत स्कूली विद्यार्थियों को किया जागरूक विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर दिलाया गया नशामुक्ति का संकल्प

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,08 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

समाज कल्याण विभाग, सरगुजा द्वारा नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज नवापारा अंबिकापुर स्थित सेंट जोन्स स्कूल में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में नवाबिहान से अजय तिवारी एवं मंगल पांडे ने विद्यार्थियों को नशे से होने वाली शारीरिक समस्याओं, पारिवारिक विवादों और दुर्घटनाओं के संबंध में विस्तार से



जानकारी दी। उन्होंने नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी एवं विद्यालय के स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित विद्यार्थियों को नशामुक्त भारत अभियान

के तहत नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।

बैग में 5.680 किलो गांजा लेकर बाइक से पहुंचा युवक,लखनपुर पुलिस ने पकड़ा

68 हजार का गांजा और बाइक समेत 1.65 लाख रुपए का मशरूफा जब्त

-संवाददाता-
लखनपुर,08 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

ग्राम गोरता-गणेशपुर क्षेत्र में अवैध गांजा लेकर बाइक से पहुंचा 22 वर्षीय युवक पुलिस के हथे चढ़ गया। लखनपुर पुलिस ने उसके कब्जे से 5.680 किलो गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 68 हजार रुपए बताई गई है,बरादर किया। पुलिस ने गांजा परिवहन में इस्तेमाल की जा रही स्प्लेंडर बाइक भी जब्त की है। गांजा और बाइक समेत कुल जब्त मशरूफा की कीमत करीब 1 लाख 65 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार 7 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली



थी कि गोरता/गणेशपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति बाइक से बैग में गांजा लेकर पहुंचने वाला है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की और स्प्लेंडर बाइक क्रमांक CG-15-DZ-7547 से आ रहे सदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके बैग से गांजा बरादर हुआ।



कहानी चश्मदीद की नहीं, साक्ष्यों की थी, विमलेश दुबे ने कड़ियां जोड़ीं

सुरेश शर्मा ने अदालत में उन्हें रखा और 283 पन्नों के फैसले ने तीन के लिए मृत्युदंड, एक के लिए उम्रकैद लिख दी...

चश्मदीद नहीं था, फिर भी साक्ष्यों ने खोल दी पूरी कहानी विमलेश दुबे की विवेचना से तैयार हुई कड़ियां

सुरेश शर्मा की पैरवी में अदालत तक पहुंचा मजबूत पक्ष और 283 पेज के फैसले में निकला तीन को मृत्युदंड, आर्यन को उम्रकैद...

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में जांच से फैसला तक की पूरी कहानी... पुलिस के सामने थी सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन विवेचना ने जोड़े घटनाक्रम के तार

जिस हत्याकांड से दहल उठा था सूरजपुर, उसमें तीन को फांसी

दो साल बाद आया इसाफ... तीन दोषियों को फांसी, चौथे को मृत्यु तक उम्रकैद



फास्ट ट्रेक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, चौथे दोषी आर्यन उर्फ गोल्डी को मृत्यु पर्यंत कारावास

मां-बेटी हत्याकांड : अदालत ने सुनाई तीन को फांसी, एक को उम्रकैद की सजा

सूरजपुर हत्याकांड में अदालत का कड़ा फैसला, कुलदीप समेत तीन को फांसी

— ऑकरा पाण्डेय—

सूरजपुर, 08 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत का फैसला अब केवल तीन आरोपियों को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास दिए जाने तक सीमित नहीं है, इस फैसले के पीछे करीब दो साल चली वह पूरी प्रक्रिया भी है, जिसमें पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और अभियोजन की न्यायालयीन पैरवी की लगातार परीक्षा हुई। इस मामले में प्रत्यक्ष चश्मदीद की चुनौती के बीच जांच को आगे बढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी विमलेश दुबे के नेतृत्व में तैयार की गई विवेचना और शासन की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा की पैरवी के बाद मामला उस मुकाम तक पहुंचा, जहां अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन को मृत्युदंड और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 8 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत में सुनाए गए फैसले के उपलब्ध अंश में कुलदीप साहू, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह और चंद्रकांत चौधरी के लिए मृत्युदंड तथा आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी के लिए आजीवन कारावास दर्ज है।

यह सिर्फ हत्या की जांच नहीं, विवेचना की भी अनिपरीक्षा थी—13 अक्टूबर 2024 की रात हुई वारदात के बाद पुलिस के सामने कई सवाल थे, घटना की कड़ियां कैसे जोड़ी जाएं? आरोपियों तक कैसे पहुंचा जाए? किस साक्ष्य से किस आरोपी की भूमिका स्थापित होगी? और सबसे बड़ा सवाल—अदालत में वह सब किस तरह रखा जाए कि अभियोजन का मामला केवल आरोप बनकर न रह जाए, बल्कि न्यायिक कसौटी पर भी टिक सके? यहीं से विवेचना अधिकारी विमलेश दुबे की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जांच अधिकारी के सामने चुनौती केवल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं थी, जांच में जुटाए

कुलदीप की पुरानी गतिविधियां भी जांच के दायरे में आईं...

पुलिस के उपलब्ध दस्तावेज में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू की घटना से पहले की आपराधिक पृष्ठभूमि का भी उल्लेख है, दस्तावेज के अनुसार उसके खिलाफ वर्ष 2015 से विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होने, जिला बंदर की कार्रवाई और जिला बंदर आदेश के उल्लंघन के बाद भी कार्रवाई किए जाने का विवरण मौजूद था, दस्तावेज में कुलदीप के पिता अशोक साहू और चाचा संजय साहू के खिलाफ भी अलग-अलग आपराधिक मामलों तथा जिला बंदर कार्रवाई का उल्लेख है, उसके भाई संदीप साहू के खिलाफ 7 अक्टूबर 2024 को मारपीट और लूट के मामले में कार्रवाई किए जाने का भी रिकॉर्ड में उल्लेख मिलता है, यानी 13 अक्टूबर की रात हुई वारदात को समझने के लिए पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी की पूर्व गतिविधियों और घटना से पहले के घटनाक्रम को भी जांच के हिस्से के रूप में रखा गया था।

गए प्रत्येक साक्ष्य को केस की पूरी कहानी से जोड़ना था। घटनास्थल, आरोपियों की गतिविधियां, उनके बीच संबंध, घटना से पहले और बाद की परिस्थितियां तथा पुलिस के पास उपलब्ध अन्य सामग्री को विवेचना का हिस्सा बनाया गया, मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इन्हीं साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखा।

घटना से पहले पुलिस से टकराव की कड़ी—दोहरे हत्याकांड से पहले की घटनाएं भी इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण रहीं, पुलिस दस्तावेज में 13 अक्टूबर 2024 को आरक्षक घनश्याम सोनवानी के साथ हुए हमले का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि आरोपी कुलदीप साहू के खिलाफ जिला बंदर और अन्य आपराधिक कार्रवाई की पृष्ठभूमि थी और घटना के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ टकराव हुआ, इसके बाद प्रधान आरक्षक के परिचार से जुड़ी घटना सामने आई, बाद की न्यायिक प्रक्रिया में पुलिसकर्मियों को वाहन से कुचलने के प्रयास से जुड़े मामले में कुलदीप साहू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई। इस अलग मामले की सजा और दोहरे हत्याकांड की सजा को एक ही आदेश समझना उचित नहीं होगा, उपलब्ध रिपोर्टिंग में पुलिस पर फायरिंग से जुड़े अलग मामले में कुलदीप को समेत कुछ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किए जाने की भी जानकारी सामने आई है, यही अंतर इस पूरे मामले की न्यायिक प्रक्रिया को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है—जिस आरोप में साक्ष्य पर्याप्त नहीं पाए गए, उसमें दोषमुक्ति हुई, जबकि दोहरे हत्याकांड में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी माना।

विमलेश दुबे की विवेचना से अभियोजन तक पहुंचा मामला—किसी भी आपराधिक मुकदमे में पुलिस की विवेचना

अप्रैल 2026 से शुरू हुई गवाही, फिट लगातार चली सुनवाई...

मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक न्यायालय में हुई, उपलब्ध रिपोर्टिंग के अनुसार अप्रैल 2026 से गवाहों के बयान दर्ज होने शुरू हुए थे, लगातार सुनवाई के बाद 28 सितंबर को अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया और दो आरोपियों को दोषमुक्त किया, इसके बाद अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की और 8 अक्टूबर को अंतिम सजा सुनाई, इस तरह घटना के करीब दो साल बाद मामला उस निर्णायक स्थिति में पहुंचा, जहां अदालत ने दोषियों की सजा निर्धारित की।

आरोपियों को दोषी माना गया, दूसरा पड़ाव—सजा, 8 अक्टूबर को तीन आरोपियों को मृत्युदंड और एक आरोपी को आजीवन कारावास दिया गया, अदालत के उपलब्ध आदेश में आरोपीवार सजा का पूरा विवरण दर्ज है, कुलदीप साहू, फूल सिंह और चंद्रकांत चौधरी के लिए मृत्युदंड तथा आर्यन उर्फ गोल्डी के लिए आजीवन कारावास दर्ज है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई गया फैसला—सजा सुनाए जाने के दिन दोषियों को न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया, करीब दो वर्ष से चल रहे इस मामले की अंतिम सुनवाई का यह दृश्य भी अलग रहा, अदालत के सामने आरोपी मौजूद थे, लेकिन स्क्रीन के माध्यम से। उसी दौरान न्यायालय ने चारों दोषियों की सजा सुनाई, एक तरफ अदालत में न्यायिक प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी, तो दूसरी तरफ बाहर लोग फैसले का इंतजार कर रहे थे।

फैसले के बाद लोगों में दिखा संतोष— फैसला आने के बाद लोगों में एक अलग तरह का संतोष देखने को मिला, जिस घटना ने दो साल पहले पूरे जिले को आंदोलित कर दिया था, उसके दोषियों के खिलाफ अदालत से कठोर सजा सामने आई, लोगों के बीच यह चर्चा रही कि आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया अपने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है, यह संतोष केवल सजा की कठोरता को लेकर नहीं था, बल्कि इस बात को लेकर भी था कि मामला लंबी प्रक्रिया के बाद अदालत में अपने निष्कर्ष तक पहुंचा।

चलाया गया, मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई, गवाहों के बयान दर्ज हुए, करीब दो साल तक सुनवाई चली, फिर 29 सितंबर को दोषसिद्धि और 8 अक्टूबर को सजा, यानी सड़क पर उठे आक्रोश से लेकर अदालत की चौखट तक यह मामला एक लंबी न्यायिक यात्रा से गुज़रा।

फैसले का सबसे बड़ा संदेश... विवेचना की मजबूती

इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है कि गंभीर अपराध की जांच केवल आरोपी पकड़ने तक पूरी नहीं होती, विवेचना अधिकारी को घटनास्थल से लेकर अदालत तक साक्ष्य की पूरी कड़ी तैयार करनी होती है, अभियोजन को उसी कड़ी को न्यायालय के सामने स्थापित करना होता है, और अंत में अदालत को उस साक्ष्य की विश्वसनीयता और पर्याप्तता पर निर्णय करना होता है, सूरजपुर के इस मामले में यही तीनों चरण सामने आए, विमलेश दुबे की विवेचना से तैयार सामग्री, सुरेश शर्मा की न्यायालयीन पैरवी और न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल का विस्तृत फैसला—इन तीनों को जोड़कर देखें तो यह मामला पुलिस जांच से न्यायिक निर्णय तक पहुंची एक लंबी प्रक्रिया की कहानी बन जाता है।

जांच से सजा तक...	
तारीख	घटनाक्रम
13 अक्टूबर 2024	दोहरे हत्याकांड
विवेचना	कोतवाली कोतवाली थाना प्रभारी विवेचना
अभियोजन	विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा
अंतिम 2026	सजा के इलाक़ शुरू
28/29 सितंबर 2026	चार आरोपी दोषी, दो दोषमुक्त
8 अक्टूबर 2026	सजा का फैसला
कुलदीप साहू	मृत्युदंड
फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह	मृत्युदंड
चंद्रकांत चौधरी	मृत्युदंड
आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी	आजीवन कारावास
फैसला	तारीख 28/9 पेज
बयाना कानूनी पड़ाव	मृत्युदंड की हाईकोर्ट पुष्टि

टाईब्रेकर में कुमहरता और एफसी घटगांव ने जीते मुकाबले... संभाग स्तरीय

नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में दो रोमांचक मुकाबले

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 08 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

नगर के गांधी स्टेडियम में चल रही संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में गुरुवार को दो मुकाबले खेले गए। दोनों मैच निर्धारित समय में गोलरहित बराबरी पर रहे और टाईब्रेकर से

विजेता का फैसला हुआ। पहला मुकाबला बिशनपुर और कुमहरता के बीच हुआ। दोनों टीमों ने शुरूआत से ही बेहतर तालमेल के साथ खेलते हुए गोल करने के प्रयास किए, लेकिन पहले और दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। निर्धारित समय तक मुकाबला 0-0 से बराबर रहा। इसके बाद टाईब्रेकर में

कुमहरता ने 4-2 से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। दूसरा मैच एफसी घटगांव और सीनियर क्लब अंबिकापुर के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने पूरे मुकाबले में आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और कई मौके बनाए, लेकिन निर्धारित समय तक गोल नहीं हो सका। टाईब्रेकर में एफसी

घटगांव ने 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर अगले दौर में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 9 अक्टूबर को पहला मैच नाइस क्लब बलसेही और खुडिया रानी मनोहरपुर के बीच खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला किसान क्लब अंबिकापुर और एफसी धौरपुर के बीच होगा। मैच के मुख्य अतिथि जिला फुटबॉल

संघ के उपाध्यक्ष डॉ. अर्पण सिंह चौहान रहे। निर्णायक मंडल में ललित किशोर, शिव, अमरदेव, अयुष मंगल, नीलभूषण, अनप्रास और रामबहादुर लांबा शामिल रहे। आयोजन में कार्यकारी सदस्य दीपक कुजूर, कमलेश किशोड़ा, अखिलानंद, विनोद पैकरा और मंगल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।





बैकुंठपुर के बाद 18 साल में फिर गूंजी फांसी

बैकुंठपुर से सूरजपुर तक... 18 साल बाद फिर गूंजी फांसी की सजा सोनू सरदार से सूरजपुर तक... फिर अदालत ने सुनाई फांसी

बैकुंठपुर की फांसी से सूरजपुर के मृत्युदंड तक... बदल गया फैसला, लौटा वही सवाल...

बैकुंठपुर का इतिहास फिर दोहराया, सूरजपुर में तीन को मृत्युदंड

2008 में बैकुंठपुर, 2026 में सूरजपुर... फांसी के फैसले का फिर अद्वय

18 साल पुरानी गूंजी फिर सुनाई दी... सूरजपुर में तीन को फांसी

सोनू सरदार मामले के बाद सूरजपुर संभाग में फिर मृत्युदंड का बड़ा फैसला, सूरजपुर में तीन दोषियों को फांसी—अगली कसौटी हाईकोर्ट की

सोनू सरदार मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2006 को मृत्युदंड सुनाया था, बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, जबकि 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को उल्टा कर दिया।

—नरि सिंह—

सूरजपुर/बैकुंठपुर, 08 अक्टूबर 2026 (घटना-घटना)।

सूरजपुर संभाग के न्यायिक इतिहास में सूरजपुर की अदालत का 8 अक्टूबर 2026 का फैसला सिर्फ एक दोहरा हत्याकांड में सजा सुनाए जाने की घटना नहीं है, इस फैसले ने करीब दो दशक पुराने उस न्यायिक अध्याय को भी फिर सामने ला दिया है, जिसकी

फांसी की सजा मिली... लेकिन फांसी नहीं हुई...

सोनू सरदार की दया याचिका पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के स्तर पर निर्णय होने के बाद भी मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं हुआ, बाद में दया याचिका के निपटारे में हुई देरी को आधार बनाकर मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, 28 जून 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को उल्टा कर दिया, अदालत ने दया याचिका के निपटारे में हुई देरी और उससे उत्पन्न मानसिक पीड़ा को महत्वपूर्ण आधार माना, यानी बैकुंठपुर का वह मामला एक ऐसी मिसाल बन गया जिसमें निचली अदालत ने फांसी दी, हाईकोर्ट ने कायम रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कायम रखी, लेकिन अंततः हाईकोर्ट ने फांसी को उल्टा कर दिया।

अब सूरजपुर में फिर तीन फांसी

समय बदला, जिला बदले, लेकिन मृत्युदंड का सवाल फिर सामने खड़ा है, 13 अक्टूबर 2024 के सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में प्रधान आरक्षक के परिवार की हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था, करीब दो वर्ष चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद 28 सितंबर 2026 को अदालत ने चार आरोपियों को दोषी माना, और फिर आया 8 अक्टूबर 2026, फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश चारियाल ने कुलदीप साहू को मृत्युदंड, फूल सिंह उर्फ रिकू सिंह को मृत्युदंड, चंद्रकांत चौधरी को मृत्युदंड, आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी को मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा सुनाई, अदालत के उपलब्ध आदेश में तीनों मृत्युदंड के मामलों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सजा छतीसगढ़ हाईकोर्ट की पुष्टि तक लागू नहीं की जा सकती।

शुरुआत कोरिया के बैकुंठपुर से हुई थी और जिसमें मृत्युदंड से लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दया याचिका और अंततः उल्टा कर दिया, अब करीब दो दशक बाद सूरजपुर में एक बार फिर निचली अदालत से तीन दोषियों को मृत्युदंड सुनाया गया है, फांसी नहीं हुई है, अदालत ने सजा सुनाई है, लेकिन मृत्युदंड का क्रियान्वयन हाईकोर्ट की पुष्टि के बिना नहीं हो सकता, आपके उपलब्ध न्यायालयीन आदेश में भी यह बात स्पष्ट रूप से दर्ज है।

पहुंचाया, 28 जून 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को उल्टा कर दिया, अब करीब दो दशक बाद सूरजपुर में एक बार फिर निचली अदालत से तीन दोषियों को मृत्युदंड सुनाया गया है, फांसी नहीं हुई है, अदालत ने सजा सुनाई है, लेकिन मृत्युदंड का क्रियान्वयन हाईकोर्ट की पुष्टि के बिना नहीं हो सकता, आपके उपलब्ध न्यायालयीन आदेश में भी यह बात स्पष्ट रूप से दर्ज है।

2004 की वह रात, जिसने बैकुंठपुर को हिला दिया था—26 नवंबर 2004 बैकुंठपुर के चेर गांव में कबाड़ व्यवसायी शमीम अख्तर अपने परिवार के साथ घर पर थे, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार वे रायपुर से कबाड़ बेचकर लौटे थे और उनके पास करीब 1.70 लाख रुपये नकद थे, अभियोजन के अनुसार सोनू सरदार और उसके साथियों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, इस घटना में शमीम अख्तर, उनकी पत्नी रुखसाना बीबी, उनके दो छोटे बच्चों और झुंडवर अस्मर अली की हत्या हुई, शमीम की नौ वर्षीय बेटी शबाना पीछे के दरवाजे से निकलकर बच गई थी और घटना की महत्वपूर्ण गवाह बनी, यह वह मामला था जिसने उस समय पूरे कोरिया क्षेत्र को झकझोर दिया था।

फिर शुरू हुई अदालत की लंबी लड़ाई—सोनू सरदार का सत्र प्रकरण 2006 में दर्ज हुआ, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी 2008 को उसे दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया, अदालत ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स' श्रेणी का मामला माना था, इसके बाद मामला रुका नहीं।

- 2008—बैकुंठपुर की अदालत से मृत्युदंड
- 2010—छतीसगढ़ हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी
- 2012—सुप्रीम कोर्ट ने भी मृत्युदंड कायम रखा
- 2013—राज्यपाल ने दया याचिका खारिज की

- 2014—राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की
- 2017—दिल्ली हाईकोर्ट ने मृत्युदंड को उल्टा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी 2012 को मृत्युदंड बरकरार रखते हुए मामले को अत्यंत गंभीर और 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स' माना था। लेकिन न्यायिक कहानी का अंतिम अध्याय अभी बाकी था।

सोनू सरदार और सूरजपुर : समानता सिर्फ फांसी नहीं—दोनों मामलों को सिर्फ इसलिए जोड़ना पर्याप्त नहीं होगा कि दोनों में मृत्युदंड सुनाया गया, इनके बीच एक बड़ा न्यायिक अंतर भी है।

सोनू सरदार मामले : मृत्युदंड ? हाईकोर्ट ? सुप्रीम कोर्ट ? दया याचिका ? देरी ? उल्टा कर दिया।

सूरजपुर मामले : मृत्युदंड ? अब हाईकोर्ट की पुष्टि का इंतजार। यानी सूरजपुर का फैसला अभी अंतिम न्यायिक पड़ाव नहीं है, यही वह बिंदु है जो इस खबर को सामान्य 'तीन को फांसी' वाली खबर से अलग करता है।

18 साल की दूरी, लेकिन सवाल वही... क्या मृत्युदंड अंतिम मंजिल बनेगा?—बैकुंठपुर के सोनू सरदार मामले में अदालतों से होते हुए मृत्युदंड की सजा आखिरकार उल्टा कर दी गई थी, अब सूरजपुर के मामले में तीन दोषियों के लिए मृत्युदंड का फैसला आया है, इसलिए सवाल

सिर्फ यह नहीं है कि अदालत ने क्या सजा सुनाई? बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मृत्युदंड हाईकोर्ट की कसौटी पर भी कायम रहेगा? क्या मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? क्या बचाव पक्ष दया याचिका या अन्य संवैधानिक उपायों का सहारा लेगा? और सबसे महत्वपूर्ण क्या सूरजपुर का यह मृत्युदंड सोनू सरदार मामले से अलग अंतिम परिणाम तक पहुंचेगा? इन सवालों के जवाब अब आने वाले न्यायिक चरण तय करेंगे।

बैकुंठपुर का फैसला इतिहास बना, सूरजपुर का फैसला नई परीक्षा

सोनू सरदार मामले ने यह दिखाया कि निचली अदालत से सुनाई गई फांसी की सजा भी न्यायिक प्रक्रिया के कई पड़ावों से गुजरती है, सूरजपुर का मामला अब उसी लंबी संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया की अगली कड़ी बन गया है, एक तरफ 2004 की घटना और 2008 का मृत्युदंड, दूसरी तरफ 2024 की घटना और 2026 का मृत्युदंड, बीच में करीब दो दशक का अंतर, लेकिन दोनों मामलों के बीच सबसे बड़ा संदेश यही है फांसी का फैसला अंतिम शब्द नहीं होता, अंतिम शब्द न्याय की पूरी प्रक्रिया बोलती है, बैकुंठपुर में उस प्रक्रिया ने मृत्युदंड को उल्टा कर दिया था, अब सूरजपुर में वही प्रक्रिया किस मुकाम तक पहुंचती है, इस पर पूरे संभाग की निगाह रहेगी।

ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशभर में नर्सिंग संवर्ग का ज्ञापन अभियान....

सूरजपुर में भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन, कलेक्टर, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन, 30 अक्टूबर को राजधानी में महारैली की चेतावनी

—संवाददाता—
सूरजपुर, 08 अक्टूबर 2026 (घटना-घटना)।

स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नर्सिंग संवर्ग की वर्षों से लंबित मांगों और वेतन विसंगति को लेकर एक बार फिर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर 7 अक्टूबर को प्रदेशभर में ज्ञापन अभियान चलाया गया, इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन कर अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाया। संगठन के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने अपने-अपने संस्थानों के बाहर एकत्र होकर विरोध दर्ज कराया, इसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सौंपा गया, यह अभियान नर्सिंग संवर्ग के ग्रेड पे में वृद्धि और वर्षों से लंबित वेतन



विसंगति दूर करने की मांग को लेकर आयोजित किया गया।

सूरजपुर में जिला सचिव के नेतृत्व में प्रदर्शन—प्रांतीय कार्यक्रम के तहत सूरजपुर जिला मुख्यालय में भी नर्सिंग एसोसिएशन की जिला इकाई ने भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन किया, जिला सचिव ज्योति साधना श्रीवास्तव के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई, संगठन की ओर से कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन, जिला अस्पताल को ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन के माध्यम से शासन का ध्यान नर्सिंग संवर्ग की लंबे समय से लंबित मांगों की ओर आकर्षित कराया गया,

नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि वे स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन वेतनमान और ग्रेड पे से जुड़ी विसंगतियों का समाधान लंबे समय से लंबित है, संगठन चाहता है कि शासन इस विषय में ठोस निर्णय लेकर कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करे।

विभागीय मंत्री और अधिकारियों को भी ज्ञापन—एसोसिएशन के अनुसार, इसी मांग को लेकर विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा स्वास्थ्य सचिव एवं संचालक संजीव झा को भी ज्ञापन देकर ग्रेड पे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, संगठन का कहना है कि ज्ञापन

अभियान के माध्यम से सरकार को एक बार फिर यह बताने का प्रयास किया गया है कि नर्सिंग संवर्ग की मांगें नई नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से शासन के समक्ष रखी जा रही हैं, यदि इस बार भी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

2018 के आंदोलन और कमेटी की अनुशंसाओं का हवाला—प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा के अनुसार, ग्रेड पे में वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर वर्ष 2018 में नर्सिंग संवर्ग द्वारा आंदोलन किया गया था, संगठन का दावा है कि उस आंदोलन के दौरान कई नर्सों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उन्हें कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ा, एसोसिएशन के अनुसार, आंदोलन के बाद शासन स्तर पर नर्सिंग संवर्ग की मांगों के निराकरण के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, संगठन का दावा है कि कमेटी ने ग्रेड पे बढ़ाने से संबंधित अनुशंसाएं भी की थीं, लेकिन करीब आठ वर्ष बीत जाने के बावजूद उन अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया, नर्सिंग संगठन का कहना है कि इस

अवधि में मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन अपेक्षित समाधान नहीं हो सका, नर्सिंग संवर्ग के अनुसार, यह भी कहा है कि अन्य निकटवर्ती राज्यों तथा केंद्र की तुलना में छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्सों का वेतन कम है, संगठन की मांग है कि वर्ष 2018 में गठित कमेटी की अनुशंसाओं के अनुरूप ग्रेड पे में वृद्धि की जाए।

2023 के आंदोलन का भी दिया हवाला—नर्सिंग एसोसिएशन ने वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले हुए आंदोलन का भी हवाला दिया है, संगठन का दावा है कि उस आंदोलन के बाद भी उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ और इसके बावजूद 2500 से अधिक कर्मचारियों को निलंबन एवं बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, एसोसिएशन का कहना है कि इन घटनाओं के बाद नर्सिंग संवर्ग में असंतोष और बढ़ा है, संगठन अब सरकार से मांगों के समाधान के लिए स्पष्ट और ठोस निर्णय की अपेक्षा कर रहा है, इन आरोपों और दावों पर

शासन का पक्ष इस प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

30 अक्टूबर को राजधानी में महारैली की तैयारी—प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा के अनुसार, 7 अक्टूबर के ज्ञापन अभियान के बावजूद यदि सरकार की ओर से मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं होती है तो आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा, संगठन ने 30 अक्टूबर 2026 को राजधानी में प्रदेशव्यापी महारैली एवं धरना आयोजित करने की चेतावनी दी है, इसके बाद भी यदि दीपावली तक मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो संगठन ने अनिश्चित कालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है, प्रदेश स्तर पर 7 अक्टूबर के ज्ञापन अभियान और 30 अक्टूबर की प्रस्तावित महारैली की बात अन्य रिपोर्टों में भी सामने आई है।

अनिश्चितकालीन आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर की चेतावनी—नर्सिंग संगठन ने शासन-प्रशासन को दिए सूचना पत्र में आंदोलन के अगले चरण को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर संभावित असर की चेतावनी भी दी है, संगठन का कहना है कि

लगातार मांगों की अनदेखी के कारण नर्सिंग कर्मचारी निराश और आक्रोशित हैं, एसोसिएशन के अनुसार, यदि आंदोलन अनिश्चितकालीन रूप लेता है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, संगठन ने ऐसी स्थिति बनने पर इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन पर होने की बात कही है, हालांकि, फिलहाल 7 अक्टूबर को आयोजित अभियान में नर्सिंग कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें शासन तक पहुंचाई हैं, अब नजर इस बात पर है कि सरकार ग्रेड पे और वेतन विसंगति से जुड़ी मांगों पर क्या निर्णय लेती है और क्या प्रस्तावित अगले चरण के आंदोलन से पहले कोई समाधान निकलता है।

सूरजपुर में ये कर्मचारी रहे मौजूद—ज्ञापन कार्यक्रम में नर्सिंग एसोसिएशन जिला सूरजपुर की सचिव ज्योति साधना श्रीवास्तव, किरन सिंह, दिव्या सिंह, सोनू साहू, तेजकुमारी, रानू, राजकुमारी साहू, शिवकुमारी सिंह, प्रमिला टोपानी, बबिता और मनीषा सहित अन्य नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री साय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त,67.38 लाख से अधिक माताओं-बहनों के खातों में पहुंचे 632.40 करोड़

मातृशक्ति के सम्मान और स्वावलंबन का मजबूत आधार

बनी महतारी वंदन योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

- महतारी वंदन योजना के माध्यम से अब तक माताओं-बहनों को 20,708 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता
- मुख्यमंत्री साय ने दुर्ग की 3.89 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में अंतरित किए 37.19 करोड़
- दुर्ग जिले को 218.48 करोड़ के विकास कार्यों की सौगत, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगी नई गति
- 23 विकास कार्यों का भूमिपूजन,आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण



रायपुर,08 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ की लाखों माताओं-बहनों के आर्थिक स्वावलंबन,आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत कर रही महतारी वंदन योजना ने आज एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में योजना की 32वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 632 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत माताओं-बहनों को अब तक दी गई आर्थिक सहायता की राशि 20708 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तीकरण हमारी सरकार के लिए केवल एक योजना या कार्यक्रम नहीं,बल्कि सुशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। हमारा विश्वास है कि जब परिवार की महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है,तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर परिवार के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े निर्णयों तक उसकी भागीदारी और मजबूत होती है। इसलिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार माताओं-बहनों के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य देकर उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने का आत्मविश्वास दे रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नारीशक्ति को विकास की धुरी बनाते हुए महिला सशक्तीकरण को नई दिशा दी है। उनके नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान,सुरक्षा,स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल हुई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी भावना के अनुरूप माताओं-बहनों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना इसी संकल्प का सशक्त उदाहरण है। प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि लाखों महिलाओं के लिए अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने का भरोसेमंद आर्थिक आधार बनी है। कोई बहन इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई में कर रही है,कोई पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में,तो कोई अपनी छोटी-छोटी बचत और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी वंदन की राशि केवल बैंक खातों में पहुंचने वाली आर्थिक सहायता नहीं है। यह माताओं-बहनों के आत्म सम्मान,आत्मविश्वास और स्वावलंबन को नई शक्ति देने वाली राशि है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की माताएं-बहनें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हों, बल्कि परिवार और समाज के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी निरंतर बढ़े।

हर महीने सीधे माताओं-बहनों के खाते में पहुंच रहा आर्थिक संबल

प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रभावी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। योजना की शुरुआत से सितंबर 2026 तक 31 किस्तों में महिलाओं को 20075 करोड़ 76 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी थी। मुख्यमंत्री साय द्वारा आज जारी 32वीं किस्त में प्रदेश की 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 632 करोड़ 40 लाख 4 हजार 250 रुपये की राशि अंतरित की गई। इस प्रकार योजना के अंतर्गत माताओं-बहनों को अब तक 20708 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचने से उन्हें नियमित आर्थिक संबल मिल रहा है। यह व्यवस्था पारदर्शिता के साथ महिलाओं को अपने संसाधनों पर सीधा अधिकार भी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ उनके स्वास्थ्य,पोषण,शिक्षा,कौशल और आजीविका के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि एक महिला सशक्त होती है तो उसका परिवार सशक्त होता है और जब प्रदेश की लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो पूरा समाज और राज्य विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

दुर्ग की 3.89 लाख से अधिक माताओं-बहनों को मिले 37.19 करोड़

महतारी वंदन योजना की 32 वीं किस्त से दुर्ग जिले की 3 लाख 89 हजार 507 पात्र महिलाओं को भी सीधा लाभ मिला। मुख्यमंत्री साय ने जिले की इन माताओं-बहनों के बैंक खातों में 37 करोड़ 19 लाख 10 हजार 250 रुपये की राशि अंतरित की। नियमित रूप से मिलने वाली यह आर्थिक सहायता महिलाओं को घरेलू आवश्यकताओं के साथ स्वयं की जरूरतों को पूरा करने की स्वतंत्रता दे रही है। इससे परिवार की आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और निर्णय क्षमता भी मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ की हर माता-बहन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सहभागी बने।

युवाओं के कौशल और मविष्य में निवेश

मुख्यमंत्री साय ने दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड से वित्तपोषित आईटीआई दुर्ग के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया। इस कार्य पर 1 करोड़ 22 लाख 56 हजार रुपये की लागत आई है। उन्नत अधोसंरचना से युवाओं को आधुनिक तकनीकों प्रशिक्षण और उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल अर्जित करने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग में भी 8.86 करोड़ रुपये की लागत से ऑफिस ब्लॉक के नवीनीकरण, सीसी रोड निर्माण,दिव्यांगजनों के लिए प्रसाधन तथा सिविल विंग के विस्तार सहित विभिन्न अधोसंरचना विकास कार्य किए जाएंगे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 4.11 करोड़ रुपये की लागत से लाइवलीहुड कॉलेज भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे जिले के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

बेहतर सड़कें बढ़ाएंगी कनेक्टिविटी,सुगम होगा आवागमन

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पुलावग पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा पहुंच राज्य मार्ग क्रमांक-22 के लगभग पांच किलोमीटर हिस्से को चार लेन बनाने के लिए 30.20 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जाएगा। अहिरा विधानसभा क्षेत्र में कुहारी-अहिरा-पथरिया राज्य मार्ग क्रमांक-21 के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 24.06 करोड़ रुपये तथा जेवरा सिरसा से भटगांव तक 3.60 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 4.28 करोड़ रुपये के कार्यों की आधारशिला रखी गई। पाटन विधानसभा क्षेत्र में भिलाई-सिरसा-औधी-ओरी-मोतीपुर मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर 15.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भिलाई से तरां मुख्य जिला मार्ग के 15 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 8.33 करोड़ रुपये तथा पीछा से खपरी तक 2.20 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अहिरा एवं देशाली नगर क्षेत्र में चंदलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से जुनवानी-कोहना-कुसरु मुख्य मार्ग के 2.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण के लिए 7.06 करोड़ रुपये के कार्य का भी भूमिपूजन किया गया। इन कार्यों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा, आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनेगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार के केंद्रों तक लोगों की पहुंच आसान होगी।

मातृशक्ति के सामर्थ्य से बनेगा विकसित छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का विकास मॉडल जनकल्याण और मजबूत अधोसंरचना के समन्वय पर आधारित है। एक और माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है,वहीं दूसरी ओर सड़क, सिंचाई, शिक्षा,स्वास्थ्य, कौशल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ पूरी शक्ति से योगदान दे रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा में मातृशक्ति की भूमिका निर्णायक है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर,युवाओं के लिए अवसर बढ़ाकर,किसानों को मजबूत करके और आधुनिक अधोसंरचना विकसित करके राज्य सरकार विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश की माताओं-बहनों के चेहरे पर खुशी,उनके जीवन में आत्मविश्वास और उनके हाथों में आर्थिक सामर्थ्य हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सशक्त मातृशक्ति ही सशक्त परिवार,समृद्ध समाज और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है।

छत्तीसगढ़ के आईपीएस संतोष सिंह को बड़ी जिम्मेदारी,दिल्ली मेट्रो सुरक्षा की संभालेंगे कमान

सीआईएसएफ में डीआईजी के पद पर हुई नई पदस्थापना

रायपुर,08 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ केडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह को दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ के डीआईजी के रूप में पदस्थ किया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत संतोष सिंह को दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके सुरक्षा प्रबंधन के अनुभव और प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली मेट्रो दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों को जोड़ने वाली देश की प्रमुख त्वरित परिवहन व्यवस्था है। इसमें 271 स्टेशन हैं।



कोरबा,राजनांदगांव,कोरिया, रायगढ़,महासमुंद्र,नारायणपुर और कोंडागांव में पदस्थ थे। इसके अलावा सुकमा में एसपी और दुर्ग में सीएसपी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। विवादों से दूर रहते हुए वे संवेदनशील और सामु दायिक पुलिसिंग के लिए पहचाने जाते हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान संतोष सिंह हैदराबाद में

डीआईजी साउथ जोन-2 के पद पर कार्यरत थे। यहां वे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक के औद्योगिक Qj रणनीतिक प्रतिष्ठाओं के साथ पूर्वी तट के बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। अब उन्हें दिल्ली मेट्रो जैसी बड़े पैमाने की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की सुरक्षा का दायित्व मिला है।

नशे के सौदागरों पर कमिश्नरेट पुलिस का शिकंजा

नाबालिग समेत 6 गांजा तस्करों को रंगेहाथ दबोचा, 64 लाख की खेप जब्त

रायपुर,08 अक्टूबर 2026। राजधानी रायपुर में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गंज और आमानाका थाना क्षेत्रों में हुई दो अलग-अलग कार्रवाईयों में रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कुल 127.309 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 64 लाख रुपये बताई गई है। दोनों मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है,जबकि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक,दोनों कार्रवाई एंटी नार्काटिक्स टास्क फोर्स,एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और संबंधित थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक गजनाला, पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) तरिकेश्वर पटेल और पुलिस उपायुक्त (परिसर क्षेत्र) रॉबिनसन गुरिया की मॉनिटरिंग में इन मामलों में कार्रवाई की गई।



टाटीबंध में 44.799 किलो गांजा के साथ तीन पकड़े गए...

दूसरी कार्रवाई गुरुवार को आमानाका थाना क्षेत्र में हुई। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को सूचना मिली थी कि टाटीबंध स्थित इस्कॉन टेपल मोड़ के पास कुछ लोग गांजा लेकर शाक की तलाश कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और आमानाका पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताए गए बुलिये के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ा गया। पृच्छाछ में दो आरोपियों की पहचान कानू डकुआ (उम्र 36 साल), निवासी ओडिशा और सुमित भट्टाचार्य (उम्र 36 साल),निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई। इनके साथ एक नाबालिग भी मिला। टीम ने उनके पास रखे बैग की तलाशी ली तो उसमें गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कुल 44.799 किलोग्राम गांजा जब्त किया,जिसकी कीमत करीब 22.40 लाख रुपये बताई गई है। इस मामले में आमानाका थाने में अपराध दर्ज कर धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

ऑटो फाफाडीह चौक स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास दिखाई दिया। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे रोक लिया। ऑटो में तीन लोग सवार थे। पृच्छाछ में उनकी पहचान मुकुन्द शर्मा (उम्र 27 साल),गोपाल वर्मा उर्फ गोपी (उम्र 28 साल) और संतोष साहू (उम्र 34 साल) के रूप में हुई। पुलिस ने उनके पास रखे ट्रांली बैग की तलाशी ली तो उसमें गांजा मिला। कार्रवाई में कुल 82.51 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे और अन्य सामान की कीमत करीब 41.25 लाख रुपये बताई गई है। इसके साथ तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे तीन मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए। इस मामले में गंज थाने में अपराध दर्ज कर धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गांजे की सप्लाई और डिलीवरी से जुड़े फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के बारे में पृच्छाछ कर रही है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि गांजा कहाँ से लाया गया था,किसे सप्लाई किया जाना था और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक, पृच्छाछ में सामने आने वाली जानकारी के आधार पर दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में किसानों की ट्रैक्टर रैली...प्रदर्शन के दौरान कीर्तन-भजन,कवर्था में एंक्वैलेंस फंसी

1700 करोड़ बकाया भुगतान समेत 12 मांगें

रायपुर,08 अक्टूबर 2026। भारतीय किसान संघ अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेशभर में आंदोलन कर रहा है। लगभग सभी जिलों में किसान जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कवर्था में किसान संघ के कार्यकर्ताओं और किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाली। जिले में बंद बुलाकर जगह-जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। कवर्था के किसान रैली के बाद टेंट लगाकर कीर्तन-भजन करते नजर आए। बिलासपुर में 12 तहसील के किसान एक साथ जुटे। रायपुर में भी किसानों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सड़क पर जाम होने से आम पब्लिश को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीज को लेने जा रही एंक्वैलेंस भी जाम में फंस गई थी, लेकिन उन्हें रास्ता दिया गया। किसानों की मांगों में 1700 करोड़ बकाया भुगतान,धान खरीदी,बकाया भुगतान,समर्थन मूल्य,सिंचाई, बिजली,गन्ने के दाम,गायों के लिए गौवंदन योजना और भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे शामिल हैं। बिलासपुर में भारतीय किसान संघ के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के तहत जिले की 12 तहसीलों से आए किसानों ने रैली निकालकर CM के नाम कलेक्टर को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में 33 महिलाएं भी शामिल हुईं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य बढ़ाने के बावजूद राज्य सरकार किसानों को इसका लाभ नहीं दे रही है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है।

रायपुर,08 अक्टूबर 2026। रायपुर में गुरुवार को चुनाव आयोग के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर दो प्रदर्शन हुए। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने आंबेडकर चौक पर संयुक्त प्रदर्शन कर मशाल रैली निकाली,जबकि आम आदमी पार्टी ने महिला थाना चौक पर अलग से धरना प्रदर्शन कर राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव किया। इन दोनों प्रदर्शनों में कथित वोट चोरी,मतदाता सूची में गड़बड़,एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया गया। हालांकि,दोनों प्रदर्शन अलग-अलग आयोजित किए गए।



चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग उठाई गई। एसआईआर और मतदाता सूची का मुद्दा प्रमुख : प्रदर्शन में एसआईआर यानी विशेष रहन पुनरीक्षण और मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। इंडिया गठबंधन के दल राष्ट्रीय स्तर पर भी इन मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। 30 सितंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद रायपुर में सहयोगी दलों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया।

महिला थाना चौक पर आप का अलग प्रदर्शन

इधर,आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से अलग महिला थाना चौक पर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्ता ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और आधार पर किए गए हैं,जबकि कुछ कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर नई जगह पदस्थ किया गया है। पहले आदेश में कार्यालय राज्य कर के अंतर्गत कार्यरत 47 कर्मचारियों

स्टेट जीएसटी में प्रशासनिक सर्जरी:13 उपायुक्त-30 निरीक्षकों सहित 128 अधिकारी-कर्मचारियों को मिली नई जिम्मेदारी,उप सचिव ने जारी किया आदेश

रायपुर,08 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने स्टेट जीएसटी में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तब्दाले किए हैं। विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर 128 अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना दी है। इन सभी को आदेश में दर्शाए गए नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इन तबादलों में 47 सहायक ग्रेड एवं अन्य कर्मचारी, 28 राज्य कर अधिकारी,13 राज्य कर उपायुक्त, 30 राज्य कर निरीक्षक और 10 राज्य कर संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। विभागीय आदेश में कई तबादले प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं,जबकि कुछ कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर नई जगह पदस्थ किया गया है। पहले आदेश में कार्यालय राज्य कर के अंतर्गत कार्यरत 47 कर्मचारियों



की नई पदस्थापना की गई है। इनमें सहायक ग्रेड-1,सहायक ग्रेड-2,सहायक ग्रेड-3,ड्युटी एंटी ऑफ़रेटर,ड्युटी एंटी ऑफ़रेटर , वाहन चालक,चौकीदार,भूय्य और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों को रायपुर,दुर्ग, बिलासपुर,जगदलपुर,कोरबा, सरगुजा,महासमुंद्र,राजनांदगांव, कवर्था,दोंदवाड़ा सहित विभिन्न संभाग और वृत्त कार्यालयों में भेजा गया है। दूसरे आदेश में 28 राज्य कर अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। इनमें कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त और संबंधित संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों को अलग-अलग संभाग और वृत्त कार्यालयों में भेजा गया है।